(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 75/2022

पंजीकरण संख्या :– 2022/298

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन उम्र 40 वर्ष जाति महाजन निवासी पीली कोठी के सामने, अस्पताल रोड बारॉ (विकेता) मैसर्स– श्री नाकोडा सेल्स एजेन्सी सदर बाजार बारॉ हाल पुरानी सिविल लाईन बारॉ (राज.)
2. श्री अशोक कुमार जैन पुत्र श्री नन्द लाल जैन जाति महाजन निवासी खाती कॉलोनी, पीली कोठी के सामने, अस्पताल रोड बारॉ (मालिक) मैसर्स– श्री नाकोडा सेल्स एजेन्सी सदर बाजार बारॉ हाल पुरानी सिविल लाईन बारॉ (राज.)
3. मैसर्स– श्री नाकोडा सेल्स एजेन्सी सदर बाजार बारॉ हाल पुरानी सिविल लाईन बारॉ (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (II) 52 एफएसएसएक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2– श्री हिमांशु जैन अभिभाषक (अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 19.01.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जरिये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.08.2022 को मैसर्स श्री नाकोडा सेल्स एजेन्सी सदर बाजार बारॉ हाल पुरानी सिविल लाईन बारॉ जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.08.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक/एच/एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 172 दिनांक 01.02.2012 एवं 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली पैक 15 नग लकडी की रेक मे आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये थे। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। [illegible] मौके पर खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली में मिलावट एवं अवांछित [illegible] का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात् नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की [illegible] फार्म नं. 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी [illegible] आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली के 04 मूल पॉलीपैक वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदे जिसकी कीमत श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन (विक्रेता) को 140/–रूपये (अक्षरे एक सौ चालीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली के चारो भागो पर अलग अलग लेबल तैयार कर चिपकाये एवं लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1523 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1523 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री अभिषेक जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं. 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/244 दिनांक 25.08.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1144/PHL/kota/Act/2022/1146 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप(Misbrand)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 25.11.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं उपस्थित होकर जरिये अभिभाषक जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण मे उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण के पास कम्पनी से उक्त खाद्य पदार्थ क्रय किये जाने का बिल उपलब्ध नही होने के कारण कम्पनी को प्रकरण मे पक्षकार नही बनया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की [illegible] में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली पैक वास्ते जॉच हेतु हमारी दुकान से क्रय किया गया था। उक्त जॉच रिपोर्ट मे अभिमत दिया है कि नमूने पर एक्सपायरी डेट अंकित नही है, जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक लेबलिंग और प्रदर्शन दूसरा संशोधन अधिनियम 2022 के विनियम 5,10,ए का उल्लघंन है और इसलिये नमूने को मिसब्राण्ड घोषित किया। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को विश्लेषण रिपोर्ट दिनांक 08.08.2022 की प्रति अप्रार्थीगण के बार बार निवेदन करने के पश्चात भी उपलब्ध नही करवायी गई तथा अपने परिवाद मे भी उक्त नमूना जांच की प्रति उपलब्ध करवाने बाबत कोई कथन नही किया है। जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्रस्तुत परिवाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के नियम 2.4.2.6 का उल्लंघन कर पेश किया गया है। जांच रिपोर्ट की प्रति अप्रार्थीगण को प्राप्य नही होने से अप्रार्थीगण उक्त जांच रिपोर्ट की एलएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला मे जांच नही करवा सके है।

यह कि प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया गया कि जिससे यह साबित हो सके कि जिस प्रयोगशाला मे नमूने की जांच की गई वह एनएबीएल प्राधिकृत प्रयोगशाला है अथवा नही। जबकि एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 3 पी तथा 43 1 के तहत एनएबीएल प्राधिकृत अथवा एफएसएस द्वारा अधिसूचित प्रयोगशाला मे तैयार विश्लेषण/ जांच रिपोर्ट ही वैध है अन्यथा वह जांच रिपोर्ट व अमान्य है। माननीय फूड सेफ्टी अपीलेट ट्रिब्यूनल राजस्थान ने भी अपने निर्णय दिनांक 01.11.2018 मनीष कुमार बनाम सरकार अपील संख्या 0025/2017 मे भी कथित किया है।

यह कि पत्रावली मे कही भी नमूने की छायाप्रति या नमूना संलग्न नही है। जिससे यह साबित हो सके कि वास्तविकता मे कॉर्न फ्लोर अचार सोस प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फैमेली पैक) मूल पॉली पैक पर एक्सपायरी डेट अंकित थी अथवा नही। ऐसी स्थिति मे जब नमूना या उसकी छायाप्रति पत्रावली मे संलग्न नही है, जिससे उसका अवलोकन कर इस तथ्य की पुष्टि की जा सके कि कॉर्न फ्लोर अचार सोस प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फैमेली पैक) मूल पॉली पैक पर एक्सपाईरी डेट अंकित थी अथवा नही परिवाद मे अप्रार्थीगण पर लगाये गये आरोप बेबुनियाद एवं निराधार है। चूंकि हस्तगत प्रकरण मे भी खाद्य विश्लेषक द्वारा विश्लेषण के लिये अपनाई गई विधि का खुलासा नही किया गया है। ऐसी स्थिति मे खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट पर निर्भरता (**Reliance**) पेश नही की जा सकती। उपरोक्त परिस्थितियों मे प्रार्थी के विरूद्व धारा 26 (2)(ाा) एवं 52 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का परिवाद किसी भी योग्यता से रहित है और प्रार्थी द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया भी त्रुटिपूर्ण होने से अवैध व अमान्य है। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नही है, ऐसी स्थिति मे परिवाद निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि खाद्य सुरक्षा संशोधन अधिनियम के बारे मे सम्पूर्ण जानकारी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा खाद्य निर्माता एवं वितरको को अवगत नही करवायी गई है और ना ही इसके नये एवं संशोधित प्रावधानों के संबंध मे आमजन को कोई सूचना एवं जानकारी प्रसारित की है। अपूर्ण जानकारी के आधार पर खाद्य सुरक्ष अधिकारी बारॉ द्वारा की गई कार्यवाही अवैधानिक होने से चलने योग्य नही है। जिन आधारो पर परिवारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत करना बताया गया है वह आधार अप्रार्थीगण के विरूद्व किसी भी रूप मे मान्य नही है। अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत की गई कार्यवाही को ड्रोप फरमाया जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1144/PHL/kota/Act/2022/1146 दिनांक 08.08.2022 से असन्तुष्ट थे, तो अप्रार्थी क्रम 1 को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया कि अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **प्लेन स्टीक सेव (रावत स्वास्तिक फेमेली पैक) 650 ग्राम** मूल पौली खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1144/PHL/kota/Act/2022/1146 दिनांक 08.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbrand)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थीगण को कुल जुर्माना राशि 45,000/- रूपये (अक्षरे पैतालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2024.02.01 11:28:07 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 19.01.2024 को [illegible], खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)